

सी.जी.-डी.एल.-सा.-23062025-264057 CG-DL-W-23062025-264057

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 19] नई दिल्ली, जून 8—जून 14, 2025, शनिवार/ ज्येष्ठ 18—ज्येष्ठ 24, 1947

No. 19] NEW DELHI, JUNE 8— JUNE 14, 2025, SATURDAY/JYAISHTHA 18—JYAISHTHA 24, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 मई, 2025

सा.का.नि. 75 — केन्द्रीय सरकार, असम राइफल्स अधिनियम, 2006 (2006 का 47) की धारा 165 की उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) के साथ पिठत उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, असम राइफल्स(समूह 'ग' के योधक पद) भर्ती नियम, 2001 को जहां तक उनका संबंध नायब सूबेदार(भेषजज्ञ) के पद से हैं, और असम राइफल्स(समूह 'ख' योधक पद) भर्ती नियम, 2001 को जहां तक उनका संबंध सूबेदार मेजर (भेषजज्ञ), सूबेदार (भेषजज्ञ) के पद से हैं, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, असम राइफल्स में सूबेदार मेजर(भेषजज्ञ), सूबेदार(भेषजज्ञ) और नायब सूबेदार(भेषजज्ञ) के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:—

3595 GI/2025 (463)

Two years.	By deputation	By deputation (including short term contract): Officers of
	(including short-term	the Central Government or the State Government or the
Note: There shall	contract), failing which	Union territories or autonomous bodies or
be a mandatory	by direct recruitment.	statutory organisation or public sector undertakings or
induction training		universities or recognised research institute:-
of at least two		
weeks duration for		(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent
successful		cadre or department; or
completion of the		(ii) with five years of regular service in the post in the level-3
probation as		(Rs. 21700-69100) in the pay matrix or equivalent in the parent
prescribed by the		cadre or department and
Central		(b) possessing the educational qualifications and
Government.		experience prescribed for direct recruits under column (7).
		Note 1: - The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2 The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.			Circumstances in which Union		
		Public So	ervices Comn	nissio	on is
		to be	consulted in	ma	ıking
		recruitme	ent.		
(12)			(13)		
Departmental Confirmation Committee (for considering con	firmation) consisting of	Consulta	tion with Unio	on P	ublic
:		Service	Commission	is	not
		necessary	y.		
1. Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital	-Chairperson;				
2. Deputy Director (concerned) in the Directorate General					
of Health Services	-Member;				
3. Deputy Director Administration, Safdarjung Hospital	-Member.				

[F.No. A.11018/39/2024-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 जून, 2025.

सा.का.नि. 78 — राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, किनष्ठ परफ्युजिनस्ट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2006 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में किनष्ठ परफ्युजिनस्ट के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, कनिष्ठ परफ्युजनिस्ट (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2025 है।
- (II) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता: वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है:

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन	चयन	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए
			मैट्रिक्स में	याअचयन	आयु-सीमा।
			स्तर।	पद।	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ	14*	साधारण	वेतन	लागू नहीं	आयु 18 से 30 वर्ष के बीच
परफ्युजनिस्ट।	(2025)	केन्द्रीय सेवा,	मैट्रिक्स में	होता।	
	**कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-6 (35400– 112400 रुपये)		(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों की दशा में पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

			टिप्पण: आयु सीमा निर्धारण करने के लिए निर्णायक तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित की जाएगी।
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति,भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7) 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से परफ्युजन प्रोद्योगिकी में स्नातक की डिग्री और सिक्रय कार्डियक केंद्र से डिग्री पूर्ण करने के पश्चात दो वर्ष का कार्यानुभव, या 2. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से परफ्युजन प्रौद्योगिकी में दो वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा; या 3. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से परफ्युजन प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर कि डिग्री। टिप्पण :1 अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के जो लेखबद्ध किया जाए जो कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किया जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के	(8)	(9) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पण : सफलतापूर्वक परिवीक्षा पूरी करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम 2 सप्ताह की अवधि का एक प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	(10) सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण 1: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने अथवा लंबे समय से बीमार होने अथवा अध्ययन अवकाश पर चले जाने पर अथवा अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए होने वाली रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकेगा जो : क (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों ; या (ii) मूल काडर या विभाग मे लेवल - 5 (29200 - 92300 रु) मे, या समतुल्य मे, नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात छ: वर्ष की नियमित सेवा कर चुके है; और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यथाविहित शैक्षिक अर्हताएं/अनुभव रखते हो। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी

अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की		
जा सकती हैं, जब चयन के किसी		
प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या		
सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि		
उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को		
भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने		
वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के		
पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की		
संभावना नहीं है।		

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ख' विभागीय पृष्टि समिति (पृष्टि पर विचार करने के लिए) : 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल -अध्यक्ष; 2. विभाग के अध्यक्ष (संबंधित), सफदरजंग अस्पताल -सदस्य; 3. उप निदेशक (संबंधित) स्वास्थ्य सेवा माहनिदेशालय -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए.11018/24/2024-एम एच-॥] अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव,

New Delhi, the 4th June, 2025.

- G.S.R..78.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Safdarjung Hospital, New Delhi, Junior Perfusionist, Group 'C' post, Recruitment Rules, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Perfusionist in the Safdarjung Hospital, New Delhi under the Ministry of Health and Family welfare, namely:-
- 1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, Junior Perfusionist (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2025.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and level in pay matrix. The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. -The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification. No person, -
 - 2. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - 3. who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax. Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
 - 7. Saving. Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of	Number of	Classification.	Level in pay	Whether	Age-limit for	Educational
post.	posts.		matrix.	selection	direct recruits.	and other
				post or non		qualifications
				selection		required for
(1)	(2)	(2)	(4)	post.	(6)	direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Junior	14* (2025)	General Central	Level-6 in	Not	Between 18	Qualifications
Perfusionist.	* Subject to	Service, Group	the pay	applicable.	and 30 years.	1. Bachelor's
	variation	'B', Non-	matrix		(D. 1. 1.1. C	Degree in
	dependent on	Gazetted, Non-	(Rs.35400-		(Relaxable for	Perfusion
	workload.	Ministerial.	112400).		Government	Technology
					servants up to	from a
					five years in	recognised
					accordance with the	University or institute and
					instructions or	
					orders issued	two years of working
					by the Central	experience
					Government).	after
					Government).	completion of
					Note: The	degree from
					crucial date	active cardiac
					for determining	center; or
					the age-	5511151, 61
					limit shall be	2. Two years
					as advertised	post graduate
					by the Staff	Diploma in
					Selection	Perfusion
					Commission.	Technology
						from a
						recognised
						University or
						institute; or
						3. Master
						Degree in
						Perfusion

			Technology
			from a recognised
			University or
			Institute.
			Note 1:
			Qualifications
			are relaxable at
			the discretion of the Staff
			Selection
			Commission
			or competent authority for
			reasons to be
			recorded in
			writing in the case of
			case 01
			otherwise well
			qualified.
			Note 2: The
			qualifications
			regarding experience is
			relaxable at the
			discretion of
			the Staff
			Selection Commission
			or competent
			authority for
			the reasons to be recorded in
			writing in the
			case of
			candidates belonging to
			the Scheduled
			Castes and the
			Scheduled Tribes, if at
			any stage of
			selection, the
			Staff Selection
			Commission or
			competent
			authority is of the opinion
			that sufficient
			number of
			candidates from these
			communities
			possessing the
			requisite experience are
			not likely to
			be available

			to fill up	the
			vacancies	
			reserved	for
			them.	

ther age and	Period of	Method of	In case of	If a	Circumstances
educational	probation, if	recruitment	recruitment by	Departmental	in
qualifications	any.	whether by direct	promotion or by	Promotion	which Union
prescribed for		recruitment or by	deputation /	Committee	Public
direct recruits		promotion or by	absorption, grades	exists, what is	Service
will apply in		deputation /	from	its composition.	Commission is
the case of		absorption and	which promotion or		to be consulted
promotees.		percentage of the vacancies to be filled	deputation /		1 n
		by various methods.	absorption is to be made.		making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Two years for	By direct	Not applicable.	Group 'B'	Consultation
applicable.	direct recruits.	recruitment.	Not applicable.	Departmental	with the Union
аррисаотс.	direct recraits.	recruitment.		confirmation	Public Service
	Note: There	Note 1: Vacancies		Committee (for	Commission is
	shall be a	caused by the		considering	not necessary.
	mandatory	incumbent being		confirmation)	,
	training of at	away on deputation or		consisting of:	
	least two	long illness or study			
	weeks	leave or under other		1. Additional	
	duration for	circumstances for a		Medical	
	successful	duration of one year		Superintendent,	
	completion of	or more may be filled		Safdarjung	
	probation as	by the appointing		Hospital –	
	prescribed by	authority on		Chairperson;	
	the Central	deputation from officers of the Central			
	Government.	Government:		2. Head of	
		Government.		Department	
		(a) (i) halding		(Concerned)	
		(a) (i) holding analogous posts		Safdarjung	
		on regular basis		Hospital –	
		in the parent		Member;	
		cadre or			
		department; or		3. Deputy	
		(ii) with six years		Director	
		regular service		(Concerned),	
		rendered after		Directorate	
		appointment to		General of Health	
		the post on		Services – Member.	
		regular basis in		Member.	
		the level -5 (Rs.			
		29200-92300) in			
		the pay matrix or			
		equivalent in the			
		parent cadre or			
		department; and			
		department, and			
		(b) possessing the			
		educational			
		qualifications and			
		experience as			
		prescribed for			
		direct recruits			

under column (7).		
Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-		
six years as on the closing date of the receipt of application.		

[F.No. A.11018/24/2024-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 जून, 2025

सा.का.नि. 79 — राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय ओषधि परीक्षण प्रयोगशाला, मुंबई (कार्यालय अधीक्षक) भर्ती नियम 2001 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय ओषधि परीक्षण प्रयोगशाला, मुंबई में कार्यालय अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात -

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, केन्द्रीय ओषधि मानक नियंत्रण संगठन, केन्द्रीय ओषधि परीक्षण प्रयोगशाला, मुंबई, कार्यालय अधीक्षक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2025 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता.- वह व्यक्ति –
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति. जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।